न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–115/2003 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामचन्दर पुत्र देवी सहाय जाति बांगड़ा ब्रहमण निवासी ग्राम कोलाकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर – मृतक
1/1. छीतरमल पुत्र रामचन्दर जाति बांगड़ा ब्राह्मण,
1/2. लालराम पुत्र रामचन्दर जाति बांगड़ा ब्राह्मण,
1/3. ख्यालीराम पुत्र रामचन्दर जाति बांगड़ा ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम कोलाकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
1/4. बुद्धी पुत्री रामचन्दर पत्नि रामजीलाल निवासी हाल चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
1/5. सूरजी पुत्री रामचन्दर पत्नि जगदीश प्रसाद बांगड़ा ब्राह्मण निवासी हाल राजपुरा जांगीर तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
1/6. मिसरो पुत्री रामचन्दर पत्नि महावीर प्रसाद बांगड़ा ब्राह्मण निवासी हाल थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

.....अपीलांट्स

बनाम

1. छोटूराम पुत्र परसा जाति बांगड़ा ब्राह्मण – मृतक
1/1. मातादीन पुत्र छोटूराम जाति बांगड़ा ब्राह्मण,
1/2. फूलाराम पुत्र छोटूराम जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम कोलाका बास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
1/3. श्रीमती लाली पुत्री छोटूराम पत्नि हरद्धारी जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम राजपुर सिक्ख तहसील थानागाजी ।
1/4. श्रीमती सोनी पुत्री छोटूराम पत्नि पीराराम जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम बुढियाबास तहसील थानागाजी ।
1/5. श्रीमती छाजी पुत्री छोटूराम पत्नि रामजीलाल जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
2. रामसहाय पुत्र परता जाति बांगडा ब्राह्मण – मृतक
2/1. श्रीमती संतो बेवा रामसहाय जाति बांगडा ब्राह्मण,
2/2. छाज्या पुत्र राम सहाय जाति बांगडा ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलाका बास तहसील थानागाजी जिला अलवर नाबालिग जरिये सरपरस्त सन्तो माता खुद ।
2/3. श्रीमती पांची पुत्री रामसहाय पत्नि कल्याण जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी बुढियाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

2/4. श्रीमती कम्पो पुत्री रामसहाय स्त्री हीराराम जाति बांगडा ब्राह्मण निवासी बुढियाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
2/5. मु0 मुन्नी पुत्री रामसहाय स्त्री हीराराम जाति बांगडा ब्राह्मण निवासी बुढियाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

3. भोमा पुत्र परसा दत्तक पुत्र बाला जाति बांगडा ब्राह्मण – मृतक
3/1. बुद्धा दत्तक पुत्र भोमा जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी कोलाका बास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जयकिशन गुप्ता अभिभाषक रेस्पो0 ।
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.11.2017

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.1976 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं तकसीम आराजी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 31 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 32 रकबा 1 बीघा, 118 रकबा 5 बीघा, 117 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, 124 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 144 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 147 रकबा 10 बिस्वा, 146 रकबा 5 बीघा, 149 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 150 रकबा 6 बिस्वा, 151 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 152 रकबा 7 बिस्वा, 153 रकबा 5 बिस्वा, 154 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 156 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 158 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 159 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 47 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कोलाका बास तहसील थानागाजी में स्थित है । विवादित आराजी मुन्दर्जे अनुमान फरीकेन की हकूक कब्जा काश्त खातेदारी की है और उनका कब्जा काश्त मुश्तर्का में ही चला आ रहा है परन्तु मुदईयान अपने हिस्से की आराजी में अपनी इच्छानुसार भली प्रकार से काश्त नहीं कर पा रहे हैं जिससे वादीगण को हरवर्ष काफी असुविधा एवं नुकसान रहता है । प्रतिवादीगण 1 व 2 स्वयं आराजी का तकासमा नहीं करते हैं । इसलिए वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का तकासमा किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार दि0 05.07.1976 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 05.07.1976 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

15/11

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दि0 24.4.2017 से प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल प्रकृति का मानकर, सिविल न्यायाधीश अलवर को निर्णित करने हेतु आदेशित किया है । अतः विवादित आराजी के संबंध में इस न्यायालय में विचाराधीन वाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है । माननीय न्यायालय ने पैरा सं0 11 में अंकित किया है कि – In view of the direction issued above, the proceedings concerning the compromise decree before the revenue authorities are declared non est.

इसलिए इसी स्तर पर अपील ड्राप करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहत न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 24.4.2017 का अवलोकन किया गया । अपीलांट की अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दि0 24.4.2017 से प्रकरण को सिविल प्रकृति का मानकर सिविल न्यायाधीश अलवर को प्रकरण निर्णित करने हेतु आदेशित किया है तथा विवादित आराजी के संबंध में इस न्यायालय में विचाराधीन वाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है । इसलिए अपील इसी स्तर पर ड्राप योग्य है ।

अतः उपरोक्त आधार पर अपीलांट की अपील Drop की जाती है तथा तहत न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 05.07.1976 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर